न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

वाद संख्या :–41/2022 | दायर दिनांक 09.03.2022

CMS NO:- 2022/71

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. चौथमल आ0 नन्दलाल जी जाति महाजन निवासी लोहडी चौहटी इमलीवाला चौक नैनवां जिला बून्दी (राज0)
2. प्रेमबाई पुत्री भंवरलाल जाति महाजन निवासी नैनवां हाल निवासी मधुबन कॉलोनी जैन मंदिर के पास बून्दी (राज0)
3. पवन कुमार आ0 भंवरलाल जाति महाजन निवासी नैनवां तहसील नैनवां हाल निवासी सांगानेर पेट्रोल पम्प के पास आसीन्द नगर जयपुर (राज0)
4. पारस कुमार आ0 भंवरलाल जाति महाजन निवासी नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
5. मधुबाई पुत्री भंवरलाल जाति महाजन निवासी नैनवां तहसील नैनवां हाल निवासी विज्ञान नगर कोटा जिला कोटा (राज0)
6. महेन्द्र कुमार आ0 भंवरलाल जाति महाजन निवासी नैनवां तहसील नैनवां हाल निवासी प्रताप नगर जयपुर जिला जयपुर (राज0)
7. महावीर कुमार आ0 भंवरलाल जाति महाजन निवासी नैनवां जिला बून्दी (राज0)
8. रतनबाई पुत्री भंवरलाल जाति महाजन निवासी नैनवां तहसील नैनवां हाल निवासी आवां तहसील दूनी जिला बून्दी (राज0)
9. लडूबाई पत्नी भंवरलाल जाति महाजन निवासी नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0

–अप्रार्थी–

वाद पत्र:– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 21.03.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नैनवां द्वितीय पटवार हल्का नैनवां द्वितीय भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नैनवां तहसील नैनवां में प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार आधिपत्य कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 2790, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2815, 2816, 2817, 2818 कुल किता 23 कुल रकबा 3.5756 हैक्टेयर स्थित है जिसका इन्द्राज वादपत्र के साथ संलग्न जमाबंदी खाता संख्या नया 283 पुराना 298 संवत 2076–2079 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) में हो रहा है। यह कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि में खसरा संख्या 2802 रकबा 0.1618 हैक्टेयर पर आने जाने का वर्षो दराज पुराना 30 फीट चोडा एक मात्र रास्ता खसरा संख्या 3212 गे.मु. रास्ते के उत्तरी दिशा में खसरा संख्या 2767 के पूर्वी साईड में खसरा संख्या 6108/2769 गे.मु. बर्डा में होता हुआ खसरा संख्या 2802 पर पहुचता है [illegible] रास्ते को वादपत्र के साथ संलग्न कर नक्शा परिशिष्ट "अ" में लालरंग से दर्शाया गया है उक्त रास्ता 30 फीट [illegible] पूर्व से ही निरन्तर निर्बाध बैलगाडी, ट्रेक्टर ट्रोली पैदल आवागमन हेतु रास्ते के [illegible] उपभोग के रूप में चला आ रहा है वादीगण उक्त रास्ते में हो कर [illegible] ट्रोली बैलगाडी अन्य कृषि सम्बन्धी सामानों को लाने ले जाने [illegible] का अन्य कोई सुगम सरल वेकल्पिक रास्ता नही है। यह कि नियमानुसार [illegible] राशि भी वादीगण राजकोष में जमा कराने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के सम[illegible] में परिशिष्ट अ, नकल जमाबंदी नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 6108/2769 रकबा 7–1030 [illegible]–जजावर रोड से प्रार्थी चौथमल वगैरह के आराजी खसरा नम्बर 6108/2769 रकबा 7–1030 [illegible] भूमि में से खसरा संख्या 2804 पर पहुंचने हेतु रास्ते की लम्बाई 7 जरीब अर्थात 70 गट्ठा एवं चौडाई [illegible] गट्ठा कुल 210 वर्ग गट्ठा अर्थात 0.0840 हैक्टयर भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner